प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3936/2007

याचिकाकर्तागण - 1. रतिया राम, पिता स्वर्गीय श्री बुधन राम, आयु लगभग 55 वर्ष, पद– फर्राश, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सन्ना, तहसील एवं विकासखंड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) (नियुक्ति आदेश दिनांक 11-07-1994)।

2. सहदेव राम, पिता स्वर्गीय श्री झूलन राम, आयु लगभग 40 वर्ष, पद– कृषि भृत्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सन्ना, तहसील एवं विकासखंड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) (नियुक्ति आदेश दिनांक 06-04-1989)।

3. रामजन राम, पिता स्वर्गीय मटिया राम, आयु लगभग 45 वर्ष, पद– चौकीदार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सन्ना, तहसील एवं विकासखंड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) (नियुक्ति आदेश दिनांक 05-09-1989)।

4. नागेन्द्र राम, पिता स्वर्गीय श्री काडियो राम, आयु लगभग 35 वर्ष, पद– रसोइया, पंडित मोतीलाल नेहरू बालक छात्रावास, पांडरपाठ, तहसील एवं विकासखंड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) (नियुक्ति आदेश दिनांक 27-07-1991)।

5. प्रबल साय, पिता श्री टेलो राम, आयु लगभग 40 वर्ष, पद– रसोइया, पंडित मोतीलाल नेहरू बालक छात्रावास, तहसील एवं विकासखंड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) (नियुक्ति आदेश दिनांक 27-07-2001)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से।

2. कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग), जिला। जशपुर (तत्कालीन रायगढ़)।

3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर (तत्कालीन रायगढ़)।

4. आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर (छ.ग.)।

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 11 जुलाई, 2007 को पारित)

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ताओं ने अपर कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.1997 (अनुलग्नक पी./4) की वैधता को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई नियमित वेतनमान की सुविधा वापस ले ली गई तथा इसके पश्चात उन्हें कलेक्टर दर के अनुसार दैनिक वेतन पर भुगतान किया जाने लगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को दिनांक 11.07.1994 के आदेश द्वारा फर्राश के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को दिनांक 06.04.1989 के आदेश द्वारा कृषि चपरासी के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को दिनांक 05.09.1989 के आदेश द्वारा चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 4 को दिनांक 27.07.1991 के आदेश द्वारा रसोइया (कुक) के पद पर नियुक्त किया गया; तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 5 को भी दिनांक 27.07.1991 के आदेश द्वारा रसोइया (कुक) के पद पर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 15.12.1992 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया। तथापि, उक्त नियमित वेतनमान को आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.1997 (अनुलग्नक पी./4) द्वारा वापस ले लिया गया।

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जब एक बार विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं को किसी विशेष वेतनमान का अधिकार प्रदान कर दिया गया, तो उसे बिना सुनवाई का अवसर दिए वापस नहीं लिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ नियमित किए जाने के कारण उन्हें निश्चित मासिक वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार अर्जित हो चुका है। अतः आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध है और अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

(4) याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 2006, पारित रिट याचिका क्रमांक 2125/2002 (संत कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) का अवलंब लिया। उक्त प्रकरण में, जहाँ पूर्व में प्रदत्त नियमित वेतनमान को कम किए जाने का समान प्रश्न विचाराधीन था, इस न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि किसी कर्मचारी के वेतनमान को उसके पीठ पीछे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना घटाना दंडात्मक प्रकृति का है और इससे नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसा आदेश संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी/राज्य द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 18.01.2006 के आदेश (पूर्वोक्त) के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 17122/2006 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम संत कुमार) दायर की गई थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब की क्षमा करने के उपरांत दिनांक 09.10.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

(6) पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण पूर्णतः इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2006, प्रकरण संत कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। अतः दिनांक 04.10.1997 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी./4) विधि विरुद्ध है, क्योंकि वह दंडात्मक प्रकृति का है तथा संबंधित कर्मचारियों (याचिकाकर्ताओं) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है।

(7) तदनुसार, दिनांक 04.10.1997 का आदेश (अनुलग्नक पी./4) अभिखण्डित किया जाता है। याचिकाकर्ता उस तिथि से नियमित वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जिस तिथि से उक्त वेतनमान आक्षेपित आदेश द्वारा वापस लिया गया था। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**